

कोरोना से लड़ना है घर में ही रहना है

(हिंदी संस्करण-द्वितीय)

COMICBOOK ON
INFORMATION
ABOUT
CORONAVIRUS
IN HINDI
LANGUAGE

हिंदी भाषा में
कोरोना के बारे में
जानकारी देने वाली चित्रकथा



जो जहां है
वहीं रुक जाना,
भीड़ के साथ
कहीं नहीं जाना ।



आरोग्य एप डाउनलोड करके
अपनी और देश की रक्षा करें

लेखन व चित्रांकन- आलोक शर्मा



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर
द्वारा प्रसारित

डिजिटल कलरिंग-
मानवी शर्मा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर (राज.)



अनूप कुमार सक्सैना
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अजमेर, (राज)



फोन: 0145-2628277
-2633356

DLSA HELPLINE, AJMER-
8306002101

सन्देश

मुझे यह ई बुक- 'कोरोना से लड़ना है, घर में ही रहना है' अजमेर की जनता के लिए समर्पित करते हुए गर्व है, इसमें चित्र कथा के माध्यम से कोविड 19 की जानकारी सरल भाषा में दी गई है, विशेष बात यह है कि इसमें छोटे कस्बे और गांव के परिवेश को ध्यान में रखते हुए जानकारी का सरलीकरण किया गया है।

चित्रकथा का यह अजमेर संस्करण अनेक लोगों के प्रयास का फल है जिसमें डॉ शक्ति सिंह शेखावत, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर का विशेष योगदान है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर, श्री भारत भूषण शर्मा ने इसमें महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैं चित्रकथा के प्रथम संस्करण के प्रकाशक श्री कानाराम, जिला कलेक्टर, डूंगरपुर को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं इस चित्र कथा के लेखक एवं चित्रकार, श्री आलोक शर्मा, निवासी- अजमेर, वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरपुर में अध्यापक, को साधुवाद देता हूं।

आशा है कि इस ई बुक के माध्यम से कोरोना के प्रति जन जागृति उत्पन्न होगी साथ ही मैं चाहता हूं कि कोरोना पीड़ितों के प्रति भी हम अपना कर्तव्य और मानवीय पक्ष याद रखें।

~ ~ ~

अनूप कुमार सक्सैना

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अजमेर, (राज.)

कोरोना से लड़ना है, घर में ही रहना है

लेखक एवम चित्रकार - (हिंदी - द्वितीय संस्करण)

आलोक शर्मा

डिजिटल कलरिंग-
मानवी शर्मा

लेखक सम्पर्क- 9828606294, मेल-alokbrush333@gmail.com

**CORONA
AWARENESS
COMICBOOK IN
HINDI
LANGUAGE**



23 मार्च 2020



24 मार्च 2020

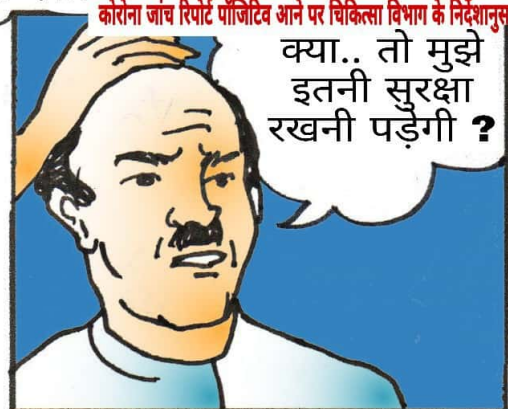


इस चित्रकथा में दिए गए सुझाव ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। विशेष सलाह आप चिकित्सा विभाग से ले सकते हैं।



अगर आप नगरीय क्षेत्र में हैं तो इस बायो वेस्ट के निस्तारण हेतु निश्चित प्रक्रिया चिकित्सा विभाग से पूछें।

लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे कचरे के निस्तारण की सुविधा नहीं है तो ऐसे कचरे को छुए बिना सीधे आग में जला देना चाहिए और कचरापात्र पर फिनायल के घोल या ब्लीचिंग पाउडर के घोल का छिड़काव करें, थोड़ी देर रुककर पानी से साफ करें।



कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार चलें।

अगर आप ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आये हैं जिसने विदेश यात्रा की है तो डॉक्टर को बताएं।

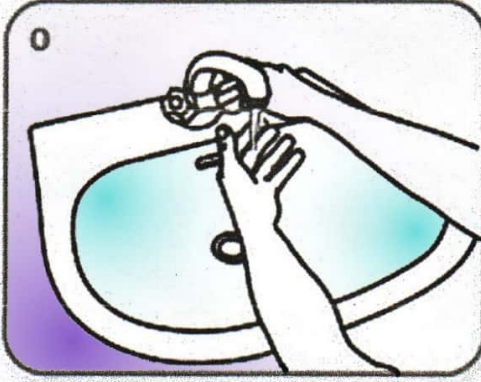
अगर आपको सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर को बताएं।



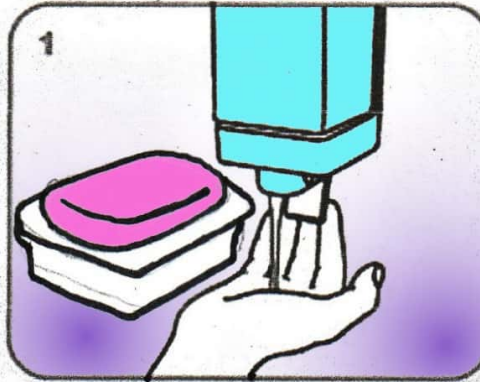
दूध की थैलियां धोकर उपयोग की जा सकती हैं।



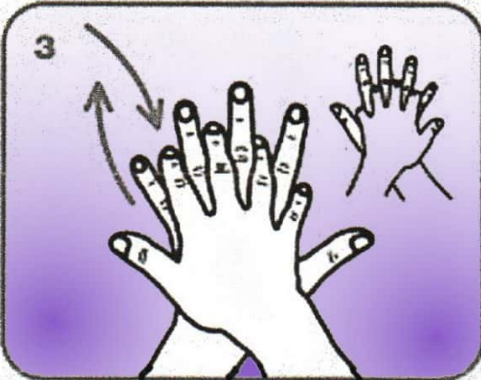
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताई गई हाथ धोने की प्रक्रिया



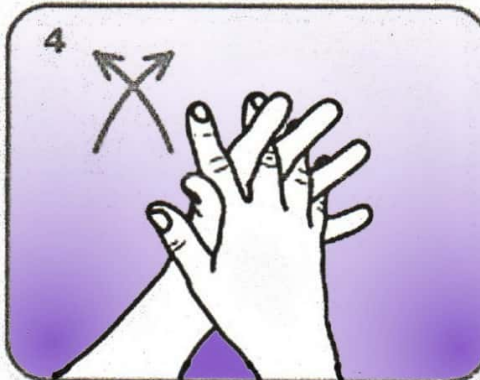
पहले हाथों को पानी से गीला करें।



हाथों पर साबुन लगाकर हाथों की पूरी सतह को साबुन से ढकें।



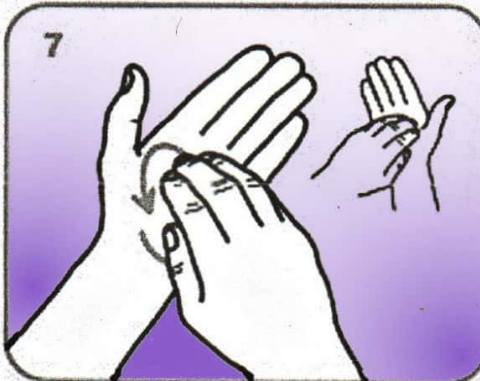
दाहिनी हथेली से बायीं हथेली के पीछे का हिस्सा धोएं। उंगलियों को आपस में उलझाकर रगड़ें ताकि उंगलियों के बीच में भी सफाई हो जाये। अब दाहिनी हथेली के पीछे का हिस्सा धोने के लिए बायीं हथेली का उपयोग इसी प्रकार करें।



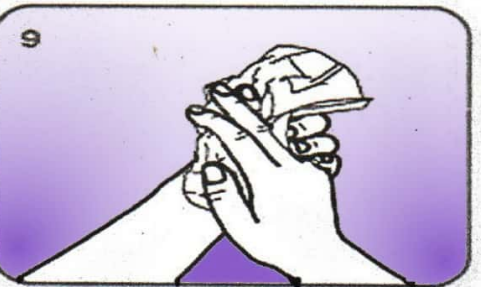
दोनों हथेलियों को आमने सामने उलझाकर सफाई करें।



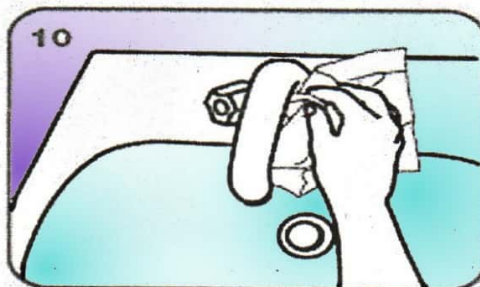
हथेली को घुमाकर अंगूठे को साफ करें।



अंगुलियों के आगे का हिस्सा (नाखून) हथेली के बीच में रगड़कर साफ करें।



हाथों को ऐसे तौलिये से पोंछें जिसे उपयोग के बाद फेंका जा सके। (पेपर नैपकिन) या केवल अपने उपयोग में आने वाला तौलिया उपयोग करें।



उपयोग के बाद नल को बंद करने के लिए पेपर नैपकिन या किसी दूसरे कागज़ के उपयोग करें। (क्योंकि नल को हमने तब छुआ था जब हमारे हाथ गंदे थे)

ये पूरी प्रक्रिया 20 सेकंड की है।



पापा ये तो ऐसे भी बता रहे हैं कि अंगूठी को भी धोना पड़ेगा।



हां क्योंकि अंगूठी, चूड़ी, कड़ा, धागा, हाथघड़ी, रिस्ट बैंड आदि पर भी वायरस चिपक सकता है, इन्हें बार बार धोना मुश्किल होता है, इसलिए अभी कुछ दिनों तक इन्हें कम से कम पहनना चाहिए।



असल में.. मुझे एक बात कहनी थी मेरे मामा को क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया है। वे अहमदाबाद में एक मिल में काम करते थे वे पैदल ही राज्य की सीमा पार करके आ गए थे।



अच्छा तो ये कारण था, चिंता मत करो। उस भीड़ में हजारों लोग थे तो..



अगर उनको कोरोना का संक्रमण है तो चौदह दिन जो उनको एकांत में रखा जाएगा उससे पता चल जाएगा कि उनको संक्रमण है या नहीं।



पर वो चौदह दिन वहां कैसे रहेंगे ?



तुम चिंता मत करो, सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी।

अगर उनमें बीमारी नहीं प्रकट होगी तो वो चौदह दिन बाद वापस आ जाएंगे।



और अगर बीमारी प्रकट हुई तो ?



तब भी सरकार उनका पूरा इलाज करेगी।



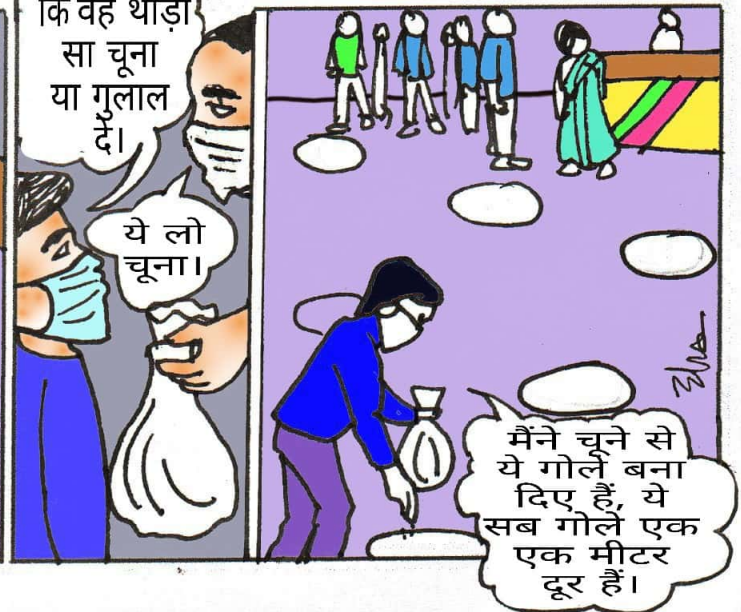
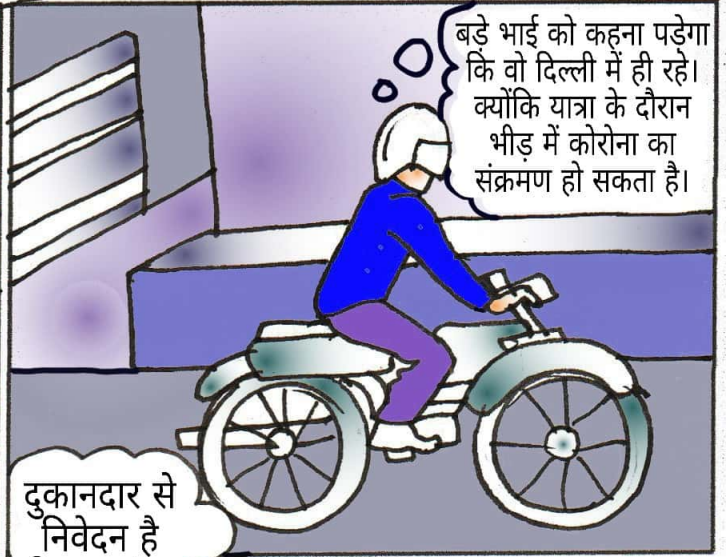
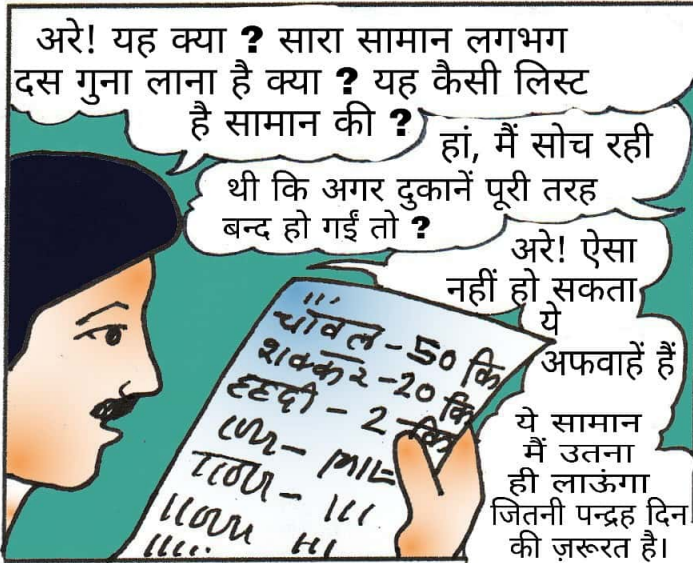




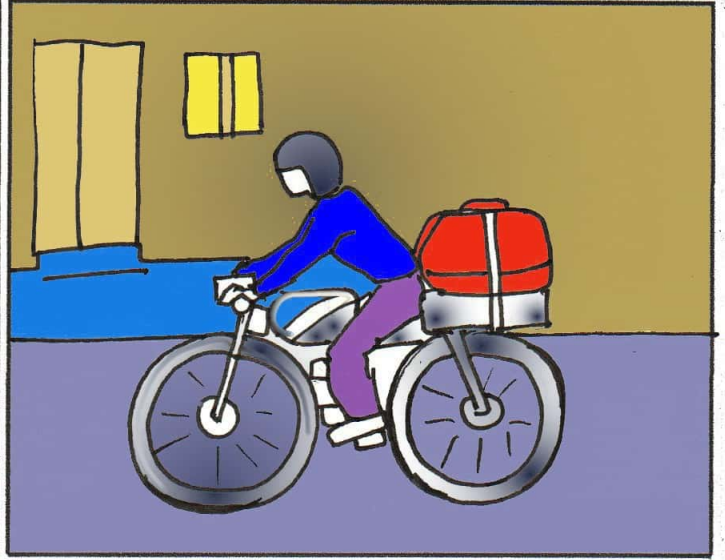
मत मानो फेक न्यूज़ की सलाह, खतरनाक होती अफवाह की राह।





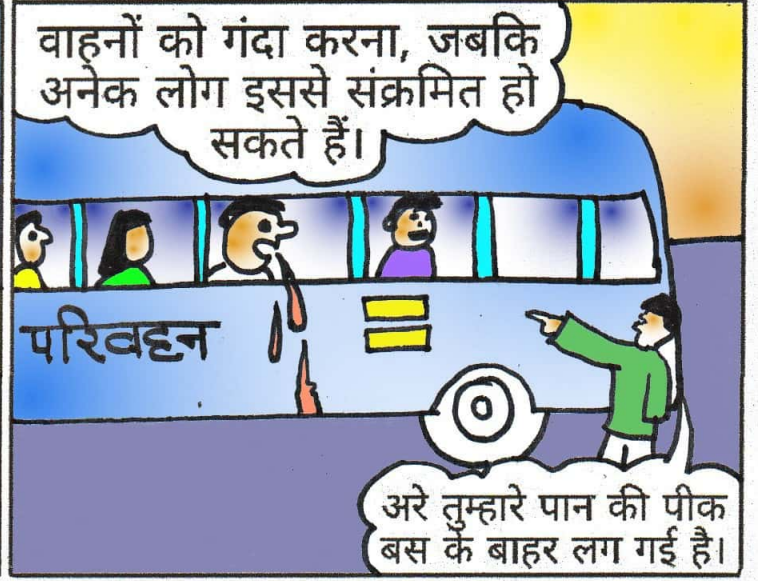




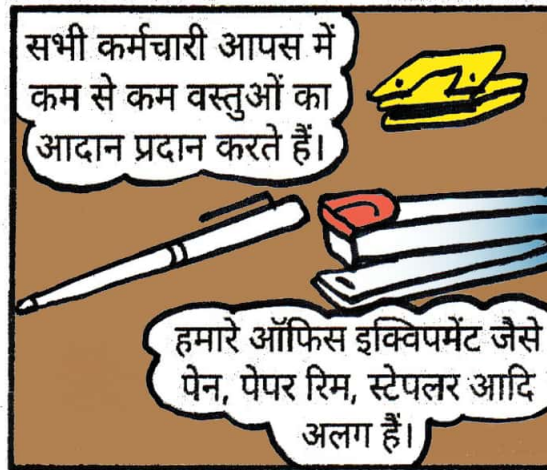
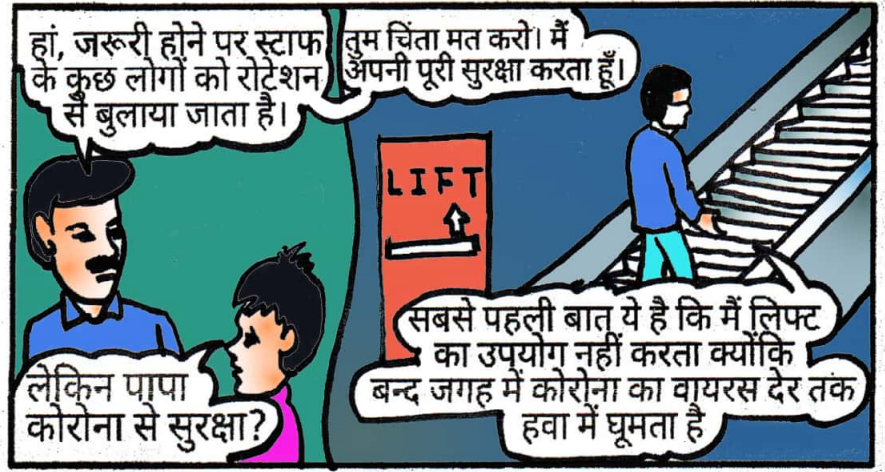


अगर किसी उपभोक्ता वस्तु पर वायरस लगा होने का शक है तो उसकी सतह को साबुन के घोल या सैनिटाइजर से साफ किया जा सकता है।
(वस्तु के पैकेट को)











समस्त चिकित्साकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें, ये देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं।

लेखक परिचय

कोरोना से लड़ना है, घर में ही रहना है
(हिंदी संस्करण- द्वितीय)

आलोक शर्मा



पता- मिनी भवन, शिव नगर

बिहारी गंज, अजमेर (राज)

शिक्षा- एम.ए., बीएड, नेट

वर्तमान में- जवाहर नवोदय विद्यालय

ठाकरडा, डूंगरपुर, (राज)

में कला अध्यापक

फोन- [9828606294](tel:9828606294)

मेल- alokbrush333@gmail.com

यह चित्र कथा - 'कोरोना से लड़ना है, घर में ही रहना है' का दूसरा संस्करण है जो कि 'अजमेर संस्करण' कहा जा सकता है। यह पुस्तक मूल रूप से वागडी बोली में लिखी गई थी, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा की स्थानीय बोली है, मूल पुस्तक के व्यापक पब्लिक रिस्पांस के बाद अब इसके हिंदी अनुवाद की आवश्यकता पड़ी, फलस्वरूप प्रथम हिंदी संस्करण के बाद द्वितीय हिंदी संस्करण संशोधित और परिवर्धित रूप में आप पाठकगण पढ़ रहे हैं।

हर संस्करण के साथ लोगों के सुझावों की वजह से पृष्ठ संख्या बढ़ती गई। जो लोग अपने बहुमूल्य सहयोग के साथ इस पुस्तक के क्रमिक संशोधन में योगदान दे चुके हैं उनमें विशेष महानुभावों का वर्णन यहां कर रहा हूँ-

मैं विशेष रूप से श्री कानाराम, जिला कलेक्टर डूंगरपुर का आभारी हूँ जिन्होंने इस ई बुक का वागडी और प्रथम हिंदी संस्करण प्रसारित किया।

द्वितीय हिंदी संस्करण (अजमेर संस्करण) हेतु मैं विद्वान जन श्री अनूप कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अजमेर, श्री शक्ति सिंह शेखावत, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर एवम श्री भारत भूषण शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के सुझावों का आभारी हूँ जिससे इस संस्करण में कुछ संशोधन हुए।

सम्पादन हेतु मैं श्रीमती छाया चौबीसा, सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डूंगरपुर एवम अजमेर संस्करण हेतु श्री अमित वर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर का आभारी हूँ।

भाषा और सम्वाद हेतु श्री विनय पुंजोत पटवारी ग्राम- ठाकरडा डूंगरपुर ने योगदान दिया। डिजिटल कलरिंग सुश्री मानवी शर्मा ने की है।

मूल पुस्तक के पृष्ठ-16
हिंदी-द्वितीय संस्करण के पृष्ठ-24

मूल पुस्तक का ISBN-



© All rights reserved with the author, please inform to the author prior to translation, modification or publish as printed medium.



मूल पुस्तक
(वागडी बोली में)



अनुवादित पुस्तक
(हिंदी भाषा में)
द्वितीय संस्करण
(अजमेर संस्करण)